अनुदान संख्या 86 - पोत परिवहन मंत्रालय
GRANT No. 86–MINISTRY OF SHIPPING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1442,43,00		1442,46,00	829,20,38	–613,25,62
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					545,85,94
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	508,10,00		508,14,00	401,80,84	–106,33,16
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					102,25,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2453.00	2034.10	1887.32	–146.78
पु.	R.	–418.90			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–6000.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	56433.00	23994.00	18130.98	–5863.02
पु.	R.	–32439.00			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	66240.00	45314.28	44741.41	–572.87
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-20926.72			
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	5041.00	3198.65	3065.64	–133.01
पु.	R.	–1842.35			
मुख्य शीर्ष "3056" अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport				
मू.	O.	7766.00	14804.90	14780.90	–24.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	7037.90			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	100.00	105.60	105.60	. .
पु.	R.	5.60			

(I) 7951.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7650.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "अंतर्देशीय जल परिवहन - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण"- 5500.00 लाख रु.; और

(ख) "अंतर्देशीय जल परिवहन - केंद्रीय योजना स्कीमें - अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास" - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग - हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को स्थापना और अन्य लागत के लिए अनुदान" - 1400.00 लाख रु. शिपयार्ड को रक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.7951.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.7650.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Inland Water Transport – Assistance to Public Sector Undertakings – Inland Waterways Authority of India" – Rs.5500.00 lakhs; and

(b) "Inland Water Transport – Central Plan Schemes - Development of IWT" – Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries – Grants to Hindustan Shipyard Limited for Establishment and Other Costs" – Rs.1400.00 lakhs – due to transfer of Shipyard to Ministry of Defence.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय पोत परिवहन - अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - आईएमओ को अंशदान'' - 250.00 लाख रु. प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(C) Major Head "3052" – "Coastal Shipping – International Co-operation – Contribution to IMO" – Rs.250.00 lakhs – due to non-receipt of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - पोत परिवहन मंत्रालय'' के अंतर्गत 565.68 लाख रु. की बचत (2453.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिवक्ताओं से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Shipping" – saving of Rs.565.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2453.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of bills from advocates.

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''पोत्त निर्माण आर्थिक सहायता'' - 7284.55 लाख रु. की बचत (17500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोत्तों के निर्माण चरणों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

(A) "Ship-building Subsidy" – saving of Rs.7284.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17500.00 lakhs) was due to delay in achievement of construction stages of ships.

(खा) ''गैर - सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पोत प्रांगणों और निजी क्षेत्र के पोत प्रांगणों को आर्थिक सहायता'' - 29347.45 लाख रु. की बचत (37053.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ निजी पोत प्रांगणों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Subsidy to non-Central PSU shipyards and Private Sector Shipyards" – saving of Rs.29347.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37053.00 lakhs) was due to non-approval of proposals from some of the private shipyards.

(गा) ''राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र को सहायता'' - 220.00 लाख रु.की बचत (380.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केंद्र से उपयोग प्रमाणपत्र और अपर्याप्त मान्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Assistance to National Ship Design and Research Centre" – saving of Rs.220.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.380.00 lakhs) was due to non-receipt utilization certificates and insufficient admissible proposals from National Ship Design and Research Centre.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3051" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता'' -

(A) "Major Ports - Assistance to Port Trusts" –

(क) ''कोलकता पत्तन न्यास द्वारा हल्दियां चैनल में रख-रखाव और तलकर्षण'' - 19121.00 लाख रु. की बचत (43798.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Maintenance and dredging in Haldia Channel by Calcutta Port Trust" – saving of Rs.19121.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.43798.00 lakhs); and

(ख) ''कोलकता पत्तन न्यास द्वारा हुगली नदी का तटकर्षण और रख-रखाव'' - 1165.00 लाख रु. की बचत (4660.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत विचाराधीन स्कीमों का नवीकरण के लिए संशोधित मंत्रिमंडलीय टिप्पणी के कारण हुईं।

(खा) ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - महानिदेशालय'' - 111.33 लाख रु. की बचत (मार्च,2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1944.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, पूर्तिकारों से बिल प्राप्त न होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ख) ''प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय - प्रबंधन'' - 600.04 लाख रु. की बचत (2598.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, तय समय पर पोत यातायात प्रणाली परियोजना पूरी न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - अन्य मदें (अनुसंधान एवं विकास स्कीम)'' - 263.60 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठनों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3052'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''तटीय पोत परिवहन'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - पोत परिवहन महानिदेशक'' - 477.99 लाख रु. की बचत(1854.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "River Dredging and Maintenance of river Hooghly by Calcutta Port Trust" – saving of Rs.1165.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4660.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to revised Cabinet note for revamping of schemes being under consideration.

(B) "Lighthouses and Lightships" –

(a) "Direction and Administration – Directorate General" – saving of Rs.111.33 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1944.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of bills from suppliers and economy measures.

(b) "Lighthouses - Working Expenses - Management" – saving of Rs.600.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2598.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of Vessel Traffic System project at targeted date and economy measures.

(C) "General –Research and Development – Other items (R&D Scheme)" – saving of Rs.263.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from organizations.

(V) Under Major Head "3052" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Coastal Shipping" –

(a) "Direction and Administration – Director General of Shipping" – saving of Rs.477.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1854.00 lakhs);

(ख) ''विनियमन और निरीक्षण - व्यापारी बेड़ा विभाग'' - 461.50 लाख रु. की बचत (1646.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''नाविकों का कल्याण - रोजगार कार्यालय'' - 124.87 लाख रु. की बचत (263.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''सामान्य-प्रशिक्षण - भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय'' - 609.65 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3056'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता'' - वेतन/मजदूरी की अदायगी के लिए सीआईडब्ल्यूटीसी को अनुदान'' के अंतर्गत 620.10 लाख रु. की बचत (1298.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू न किए जाने की वजह से वेतन/मजदूरी की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 157.44 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 91 प्रतिशत थीं।

2(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (7758.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3056'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान'' के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7734.00 लाख रु.था।

(b) "Regulation and Inspection – Mercantile Marine Department" – saving of Rs.461.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1646.00 lakhs); and

(c) "Seamen's Welfare - Employment Offices" – saving of Rs.124.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.263.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) "General – Training – Indian Maritime University" – saving of Rs.609.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the University.

(VI) Under Major Head "3056" – "Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grants to CIWTC for payment of salary/wages" – saving of Rs.620.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1298.00 lakhs) was due to requirement of less funds for payment of salary/ wages owing to non-implementation of 6^{th} Central Pay Commission Report in Central Inland Water Transport Corporation.

(VII) Under two heads savings of Rs.157.44 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent and 91 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.7758.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2009 under Major Head "3056" – "Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grant to Inland Waterways Authority of India". Actual excess, however, was Rs.7734.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अंतर्देशीय जल परिवहन - अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 105.60 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Inland Water Transport – Development of IWT" – excess of Rs.105.60 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों तथा प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses					
मू.	O.	26999.00				
पू.	S.	1.00		31769.00	31455.20	–313.80
पु.	R.	4769.00				
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping					
मू.	O.	6450.00				
पू.	S.	1.00		6876.00	6872.59	–3.41
पु.	R.	425.00				
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services					
मू.	O.	15610.00				
पू.	S.	1.00		333.00	333.05	+0.05
पु.	R.	–15278.00				

(I) 16183.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15810.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5051'' - ''मुख्य पतन - ट्यूटीकोरिन पत्तन न्यास - अन्य व्यय'' - 500.00 लाख रु. परियोजनाएं शुरू न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''5075''-

(क) ''नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - अन्य नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - कलकता पत्तन न्यास को अदायगी'' - 200.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''अन्य - अन्य व्यय - सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना'' - 15110.00 लाख रु. परियोजना की संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''5051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - अवतरण सुविधाएं और घाटों का निर्माण'' - 1498.00 लाख रु. की बचत (4437.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निकर्षण पोत्तों की कमी और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाश स्तंभों का विकास और सुधार'' - 155.71 लाख रु. की बचत (3700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिकुल जलवायु परिस्थितियों की वजह से परियोजना के पूरे हाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6769.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''5051'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों

(I) Provision of Rs.16183.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.15810.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "5051" – "Major Ports – Tuticorin Port Trust – Other Expenditure" – Rs.500.00 lakhs - due to non-taking up of the projects.

(B) Major Head "5075" –

(a) "River Training Works – Other River Training Works – Payment to Calcutta Port Trust" – Rs.200.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(b) "Others – Other Expenditure – Sethusumudrum Ship Canal Project" – Rs.15110.00 lakhs - due to non-approval of revised cost estimates of the projects.

(II) Under Major Head "5051" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Minor Ports – Other Small Ports - Construction and landing facilities and jetties" – saving of Rs.1498.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4437.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to shortage of dredgers and inclement weather conditions.

(B) "Light Houses and Light Ships - Construction and Development of Light Houses – Construction and Improvement of Light Houses" – saving of Rs.155.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3700.00 lakhs) was due to delay in completion of projects owing to extreme climatic conditions.

4.(I) The above savings were partly (Rs.6769.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of

के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 में 1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''मुख्य पत्तन - कोचीन पत्तन न्यास - परिवहन सुविधाएं और बेड़ा'' - 769.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 768.50 लाख रु. था।

(खा) ''लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - सूनामी पश्चात निर्माण कार्य'' - 6000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 5996.50 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''5052'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का विकास'' - 492.59 लाख रु. का अधिक व्यय (5380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों के विकास कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Rs.1.00 lakh in December, 2009 under Major Head "5051" – under the following heads:-

(A) "Major Ports – Cochin Port Trust – Transport facilities and Fleet" – Rs.769.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.768.50 lakhs.

(B) "Minor Ports – Other Small Ports – Post Tsunami Works" – Rs.6000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5996.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5052" – "General – Other Expenditure – Development of Indian Maritime University" – excess of Rs.492.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5380.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for development work of various campuses of the University.